

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भीम जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी श्री विकास शर्मा (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 14/2017

01. पन्ना पिता वीरम जाति बलाई निवासी दहेड़िया तहसील भीम, जिला राजसमन्द।
02. कूपा पिता वीरम जाति बलाई निवासी दहेड़िया तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

.....वादीगण

बनाम

01. सुआराम पिता दुदाराम।
02. वेणा राम पिता दुदाराम।
03. राजूराम पिता दुदाराम।
04. रतन लाल पिता दुदाराम।
05. श्रवण पिता रामाजी।
06. किशनलाल पिता देवाराम।

- समस्त जातियान् बलाई निवासी दहेड़िया तहसील भीम, जिला राजसमन्द।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- 1- वादीगण की ओर से श्री इन्द्रजीत खत्री अधिवक्ता
2- प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार भीम की ओर से पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते
बंटवाडा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

निर्णय

दिनांक:- 6/10/25

1. प्रकरण में इस न्यायालय से जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.06.2017 एवं पत्र क्रमांक रीडर/2017/199 दिनांक 02.06.2017 की पालना में तहसीलदार भीम से जरिये पत्रांक 1158 दिनांक 14.08.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाड प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त आदेश की पालना में प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत खत्री द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये अंतिम डिक्री जारी किये जाने बाबत निवेदन किया। प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 03 फौत होने से उनके कायम मुकाम अनवान में शामिल किये गये। इसी प्रकार जमाबंदी एवं प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार प्रतिवादीगण का उचित संयोजन करते हुए निम्नानुसार पक्षकारान् के मध्य खातेदारी विभाजन बाबत अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(हेक्टेयर में)
01.	पन्ना पुत्र वीरम जाति बलाई साकिन देह खातेदार	89 मीन	0.0162
		94 मीन	0.0678
		98 मीन	0.0192
		103 मीन	0.0040



f

		104 मीन	0.0445
		107	0.0081
		108	0.1295
		110 मीन	0.1335
		112	0.1619
		115 मीन	0.0506
		117 मीन	0.0485
		120 मीन	0.3844
		447 मीन	0.0182
		448 मीन	0.0627
		449 मीन	0.0769
		450 मीन	0.0910
		453 मीन	0.0648
		459 मीन	0.0304
		475 मीन	0.1417
		659 / 25 मीन	0.0769
		665 / 22 मीन	0.0405
		462 मीन	0.0607
योग	किता	22	1.7321
02	कूपा राम पुत्र वीरम जाति बलाई साकिन देह खातेदार	89 / 1	0.0162
		94 / 1	0.0677
		98 / 1	0.0193
		103 / 1	0.0040
		104 / 1	0.0445
		109	0.1295
		111	0.1619
		115 / 1	0.0506
		117 / 1	0.0486
		120 / 1	0.3845
		447 / 1	0.0182
		448 / 1	0.0627
		449 / 1	0.0769
		450 / 1	0.0911
		453 / 1	0.0647
		459 / 1	0.0303
		475 / 1	0.1416
		462 / 1	0.0607
		659 / 25 / 1	0.0769
		665 / 22 / 1	0.0405
योग	किता	20	1.5904
03	रतनलाल वेणाराम सुआलाल पुत्र दूदा नोरती देवी पत्नि राजूराम जशोदा पुत्री राजुराम हि. 1/2 श्रवण लाल, सोहन लाल पुत्र रामा हि. 1/2 जाति बलाई	90	0.0121
		92	0.1700
		93	0.1497
		94 / 2	0.1356
		98 / 2	0.0384



f

साकिन देह खातेदार			
		105	0.0688
		113	0.1295
		114	0.1781
		116	0.0809
		445	0.0324
		448 / 2	0.1255
		450 / 2	0.1821
		455	0.0809
		459 / 2	0.0607
		475 / 2	0.2833
		659 / 25 / 2	0.1538
		665 / 22 / 2	0.0809
योग	किता	17	1.9627
04	किशन लाल पुत्र देवाराम हि. 1/2 श्रवण लाल, सोहन लाल पुत्र रामा हि. 1/2 जाति बलाई साकिन देह खातेदार	462 / 2	0.1214
योग	किता	1	0.1214
05	कूपा पना रामा पुत्र वीरम हि. 3/4 रतन लाल वेणाराम सुआराम पुत्र दूदा नोरती देवी पत्नि राजूराम जशोदा पुत्री राजूराम हि. 1/4 जाति बलाई साकिन देह खातेदार	91 666 / 106	0.0081 0.0162
योग	किता	2	0.0243

उपरोक्तानुसार तहसीलदार भीम माफिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।



Shau
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर भीम
पीठासीन अधिकारी:- हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 14/2017

01. पन्ना पिता वीरम जाति बलाई निवासी दहेड़िया तहसील भीम, जिला राजसमंद ।
02. कूपा पिता वीरम जाति बलाई निवासी दहेड़िया तहसील भीम, जिला राजसमंद ।

.....वादीगण

बनाम

01. सुआराम पिता दुदाराम ।
02. वेणा राम पिता दुदाराम ।
03. राजूराम पिता दुदाराम ।
04. रतन लाल पिता दुदाराम ।
05. श्रवण पिता रामाजी ।
06. किशनलाल पिता देवाराम ।

समस्त जाति बलाई निवासीयान दहेड़िया तहसील भीम, जिला राजसमंद ।

07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

.....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वास्ते बंटवाडा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

निर्णय

दिनांक:- 6/10/2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत खत्री व प्रतिवादी स्टेट की ओर से सरकारी पैरोकार की उपस्थिति के आधार पर इस वाद में आज दिनांक 11.09.2025 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भीम को आदेश दिया जाता है कि मौजा दहेड़िया पटवार हल्का समेलिया तहसील भीम जिला राजसमंद में मूल वाद में अंतिम डिक्री एवं तहसीलदार भीम द्वारा पेश बंटवाड़ एवं मौका रिपोर्ट के क्रम संख्या 01, 02, 03 व 04 के अनुसार किया जाकर वादी को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं पैदा करें ना किसी अन्य से करवाए। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार भीम उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पृथक खाते खोलकर पालना से अवगत करावें।

तहसीलदार भीम माफिक डिक्री उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में 'अमलदरामद कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

इस आज तारीख 6/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Sharma
(विकास शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	—	आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	—
6. कमिश्नर की फीस	—		—
7. आदेशिका की तामिल जोड		जोड	



Jhaw
 सहायक न्यायाधीश
 उपखण्ड अधिकारी, भीष
 जिला-राजसमन्द